राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

[redacted]

उनवान–मैसर्स अरास एण्ड ब्रदर्स, अनूपगढ़ रोड, छत्तरगढ बनाम् वा.क.अ., कार्य संविदा व पट्टा कर, बीकानेर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.11.2014	**<u>एकलपीठ</u>** **<u>श्री मदन लाल, सदस्य</u>** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 10.09.2013, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत् पारित किया गया है के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें वा.क.अ., कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, बीकानेर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम के तहत् निर्धारण वर्ष **2009–10, के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 24.02.2012** के जरिये अधिनियम की धारा 58 के तहत् आरोपित शस्ति **<u>रू.25,000/–के</u>** विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करने को विवादित कर, रू.20,000/– की वसूली पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी के अभिभाषक श्री ओ.पी.दोसाया, एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल पोखरणा बहस हेतु दिनांक 25.11.2014 को उपस्थित हुये। बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्र पर निर्णय पारित किया जा रहा है । उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया व हस्तगत प्रकरणो के संबंध में दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का अध्ययन करने के पश्चात् यह विदित होता है कि हस्तगत प्रकरण में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 48 के तहत् अपीलार्थी व्यवहारी को शास्ति आरोपण से पूर्व विशिष्ट नोटिस सुनवायी हेतु प्रदान किये जाने अथवा नहीं दिये जाने का महत्वपूर्ण व सारभूत बिन्दू विचारणीय है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार किये जाकर, <u>रू. 20,000/–</u>की वसूली कार्यवाही पर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करने की दशा में, सुनवायी तिथि तक रोक लगायी जाती है । प्रकरण दिनांक 10.02.2015 को एकलपीठ अजमेर के समक्ष नियत हो। अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। निर्णय प्रसारित किया गया । 27.11.2014 (मदन लाल) सदस्य	